न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 135 / 2022 तारीख दायर :–04.03.2022 दिनांक निर्णय :–15.03.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2022/41

बनाम

1.राधा देवी पत्नी रामनारायण जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़
2.विश्राम पुत्र शिवजी जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़
3.कैली देवी पत्नी रामोतार जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि गैरसायल राधादेवी पत्नी रामनारायण, विश्राम पुत्र शिवजी, कैलीदेवी पत्नी रामोतार जाति मीना निवासी भजेड़ा ने वाके ग्राम भजेड़ा की राजकीय चारागाह भूमि के ख0न0 164 रकबा 0.93 हे0 में से 0.25 हे0 पर फसल रबी सम्वत 2078 में चने की फसल काश्तकर अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल की ओर से राधादेवी उपस्थित आया। गैरसायलान की ओर से नोटिस का कोई जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायलान के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर बेदखली के आदेश दिये जाते है, साथ ही सरह लगान के 1.00 रू की 50 गुणा राशि 50/–रू पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि फसल को कब्जे राज लेकर, निलामी कार्यवाही कर वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 15.03.2022 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ़
तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 06 पर पी.पे. 50/-
राशि कायम किये गये।